

मुकदमों का विवरण

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

गीता देवी और अन्य

(विशेष अवकाश याचिका (सी) 2023 की संख्या 19992) अक्टूबर 30, 2023

[सी. टी. रविकुमार और संजय कुमार, जे.

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:मोटर वाहन दुर्घटना के बाद, यह पता चला कि वाहन के चालक के पास नकली ड्राइविंग लाइसेंस था। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने न तो अनुरोध किया था और न ही यह साबित किया था कि मृतक वाहन मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे और उसकी ओर से ऐसी याचिका के अभाव में, न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था। क्या उच्च न्यायालय का आदेश न्यायसंगत है।

मोटर वाहन अधिनियम, **1988**-जल्दबाजी में और लापरवाही से पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाला टेंपो वाहन-पीड़ित की मृत्यु-आश्रितों ने मुआवजे की मांग की- न्यायाधिकरण ने उन्हें मुआवजे का आदेश दिया और पाया कि टेंपो के चालक के पास एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस था और राय दी कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी-न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को टेंपो के मालिकों से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता दी-हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को वाहन मालिकों से मुआवजे की वसूली करने का अधिकार नहीं था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने यह याचिका नहीं उठाई कि वाहन के मालिक ने उक्त चालक को यह जानते हुए वाहन चलाने की अनुज्ञात कि उसका लाइसेंस नकली था-इसका रुख यह था कि दुर्घटना पीड़ित की लापरवाही के कारण हुई थी-इसके अलावा, बीमा पॉलिसी में वाहन के मालिक को आरटीओ के साथ वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं थी-इसलिए, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी का दावा है कि यह 63 है।

बीमा पॉलिसी की शर्त के जानबूझकर उल्लंघन के कारण वाहन के मालिकों से मुआवजे की वसूली करने का अधिकार है।, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन एक लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा चलाया गया था, बिना किसी अभिवचन और प्रमाण के है-इसके अलावा, एक बार जब वाहन चलाने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि ऐसा लाइसेंस उसके सामने स्पष्ट रूप से नकली न हो, किसी भी समझदार नियोक्ता को इसकी वास्तविकता के बारे में पूछताछ करने के लिए वारंट करता है, या जब लाइसेंस की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, या इसकी वैधता के बारे में वास्तविक संदेह रखने का कोई अन्य कारण है, तो बीमा कंपनी पर यह साबित करने का बोझ है कि वाहन चलाने के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले वाहन मालिक की ओर से इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को उचित परिश्रम करने में विफलता थी-वर्तमान में, कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जिससे एक निष्कर्ष निकाला जा सके कि[पैरा 14 और 15]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

स्कंदिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम कोकिलाबेन चंद्रावदन और अन्य

(1987) 2 एससीसी 654:[1987] 2 एससीआर 752; सोहन लाल पासी बनाम पी. शेष रेड्डी और अन्य (1996) 5 एससीसी 21:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 647; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य (2004) 3 एस. सी. सी. 297:[2004] 1 एससीआर 180;

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू और अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 338:[2003] 2 एससीआर 495; रामचंद्र सिंह बनाम राजाराम और अन्य (2018) 8

एससीसी 799:[2018] 9 एससीआर 1083-पर भरोसा किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2023 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.19992।

2019 के एम. ए. सी. ए. पी. पी. No.914 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.05.2023 निर्णय और आदेश से।

गीता देवी 64 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

रूप:

शिवम सिंह, साहिल भाटिया, गोपाल सिंह, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

संजय कुमार, जे।

1. इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम. ए. सी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.05.2023 आदेश पर हमला करना चाहता है। ऐप. 2019 का सं. 914। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा 2016 की एम. ए. सी. याचिका संख्या 4415 में पारित दिनांक 1 के पुरस्कार को इस हद तक उलट दिया कि उसने याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया। वसूली के इस तरह के अधिकार से इनकार से पीड़ित, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी इस न्यायालय के समक्ष है।

2. तथ्यों पर, सामान्य रूप से, ध्यान दिया जा सकता है: एक धरमबीर को 09.05.2010 पर घातक चोटें आईं, जब पंजीकरण संख्या वाले टेम्पो वाहन ने दम तोड़ दिया। एचआर 69 डी-0246 ने उतावलेपन और लापरवाही से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उनके आश्रित, अर्थात्, उसके माता-पिता, विधवा और बच्चों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षिप्तता के लिए, '1988 का अधिनियम') की धारा 140 और 166 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहिणी अदालत, दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे की मांग की। टेम्पो वाहन के चालक उदय पाल; वाहन के मालिक नेत्र पाल सिंह, जिनकी मामले के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था, उनकी माँ, विधवा और नाबालिग बेटे और याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को उनकी दावा याचिका में प्रतिवादी के रूप में रखा गया था। दिनांक 06.07.2018 के पुरस्कार द्वारा, न्यायाधिकरण ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और उन्हें ब्याज के साथ मुआवजे के रूप में ₹ 13,70,000 की राशि से सम्मानित किया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने पाया कि टेम्पो के चालक के पास एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस था और राय दी कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इसलिए न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह टेम्पो के वर्तमान मालिकों से उसी की वसूली करने के लिए स्वतंत्रता के साथ दी गई राशि जमा करे। इस कार्रवाई से व्यथित होकर, वाहन के मालिकों ने एम. ए. सी. में एक अपील का नेतृत्व किया। ऐप. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 का सं. 914, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.05.2023 का आक्षेपित आदेश दिया गया।

65

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी [संजय कुमार, जे.] 66

3. अभिलेख से पता चलता है कि वाहन के चालक उदय पाल ने अपनी नौकरी के समय मथुरा में जारी ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया था और दुर्घटना के बाद ही यह पता चला कि उक्त लाइसेंस वास्तविक नहीं था। मृतक वाहन के मालिक नेत्र पाल सिंह की विधवा ने न्यायाधिकरण के समक्ष कहा कि उसके पति ने उसे चालक के रूप में नियुक्त करने से पहले उसे बताया था कि उसने उदय पाल द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस को देखने के बाद ड्राइविंग कौशल परीक्षण लिया था। हालांकि, ए. आर. टी. ओ., मथुरा के रिकॉर्ड क्लर्क ने गवाही दी कि, उनके रिकॉर्ड के अनुसार, उदय पाल द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस नकली था क्योंकि

वह लाइसेंस नंबर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित था। इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी वाहन के मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्तरदायी नहीं होगी, और याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को वसूली का अधिकार प्रदान किया। हालाँकि, अपील में, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने न तो अनुरोध किया था और न ही यह साबित किया था कि मृतक वाहन मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे और अपनी ओर से ऐसी याचिका के अभाव में, न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को वाहन मालिकों से मुआवजे की वसूली करने का अधिकार नहीं है।

4. इस स्तर पर इस मामले से संबंधित वैधानिक परिवेश पर ध्यान देना उचित होगा। 1988 के अधिनियम की धारा 149, प्रासंगिक सीमा तक, निम्नानुसार है:-

‘149. बीमाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के खिलाफ निर्णयों और पुरस्कारों को पूरा करें।-

(1)

(2) बीमाकर्ता द्वारा किसी भी निर्णय या पुरस्कार के संबंध अंतर्गत कोई राशि तब तक बीमाकर्ता द्वारा देय नहीं होगी जब तक कि उस कार्यवाही के प्रारंभ से पहले जिस अंतर्गत निर्णय या पुरस्कार दिया जाता है, बीमाकर्ता को न्यायालय के माध्यम से या, जैसा भी मामला हो, दावा न्यायाधिकरण के माध्यम से कार्यवाही लाने की सूचना नहीं दी गई थी और एक बीमाकर्ता जिसे ऐसी कोई कार्यवाही लाने की सूचना दी गई है, वह उस अंतर्गत पक्षकार बनने और निम्नलिखित अंतर्गत से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

/

[2023] 14 एस सी आर।

(क) कि पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्:-

((i); या

((ii) किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अयोग्य ठहराने की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है; या

5. याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि वाहन के मालिक की विधवा के सुने गए साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के बाइबिल के सत्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यह तर्क मृतक वाहन मालिक द्वारा चालक के रूप में अपनी नौकरी से पहले उदय पाल का ड्राइविंग कौशल परीक्षण लेने के संदर्भ में दिया गया था। यह बताया गया है कि उसकी विधवा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा कोई परीक्षण होते नहीं देखा था और उसके दिवंगत पति ने उसे केवल ऐसा बताया था और इसके अलावा, अपरिहार्य तथ्य यह भी है कि वाहन के चालक उदय पाल का ड्राइविंग लाइसेंस नकली था।

6. ड्राइविंग कौशल परीक्षण के संबंध में तर्क स्वीकृति के योग्य नहीं है क्योंकि प्रश्न बीमा पॉलिसी में यह स्वीकार नहीं किया गया है कि बीमित वाहन चलाने के लिए चालक को नियुक्त करने से पहले एक ड्राइविंग कौशल परीक्षण अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। बीमा पॉलिसी में 'ड्राइवर क्लॉज' शीर्षक वाली प्रासंगिक शर्त इस प्रकार है:

‘बीमाकृत सहित कोई भी व्यक्ति: बशर्ते कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति दुर्घटना के समय एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस रखता है और ऐसा लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं है।’

इस प्रकार, वैधानिक प्रावधान या उपरोक्त खंड में कोई आदेश नहीं है कि चालक को नियुक्त करने से पहले एक ड्राइविंग कौशल परीक्षण बिना किसी असफलता के किया जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में इसका हवाला दे। वास्तव में, पॉलिसी में ऐसा कोई शब्द या शर्त नहीं थी।

7. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वाहन के चालक को विधिवत लाइसेंस नहीं दिया गया था क्योंकि उसके पास एक नकली लाइसेंस था, यह ध्यान दिया जा सकता है कि न तो 1988 के अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) और न ही विषय में 'चालक खंड' 67

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी [संजय कुमार, जे.] 68

बीमा पॉलिसी में प्रावधान है कि बीमित वाहन के मालिक को, एक नियम के रूप में, उक्त वाहन सत्यापन के लिए चालक के रूप में कार्यरत व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और संबंधित परिवहन अधिकारियों के साथ जांच करनी चाहिए। आम तौर पर, और निश्चित रूप से, एक चालक को नियुक्त करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की सत्यापन कवायद नहीं करेगा और एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के उत्पादन से संतुष्ट होगा, जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई है। चालक को नियुक्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अपेक्षा करना पूरी तरह से अव्यवहारिक होगा कि संबंधित परिवहन प्राधिकरण यह सत्यापित करेगा कि क्या उस चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस वैध और वास्तविक है या नहीं। वास्तव में, किसी भी कार बीमा पॉलिसी में ऐसी कोई अनिवार्य शर्त प्रदान नहीं की गई है और यह याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी के लिए खुला नहीं है, जिसने भी ऐसी कड़ी शर्त

निर्धारित नहीं की है, कि वह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देयता को अस्वीकार करने के कारण के रूप में मृतक वाहन मालिक द्वारा अजय पाल के ड्राइविंग लाइसेंस की आरटीओ से जांच कराने में विफलता का हवाला दे।

8. प्रभावी रूप से और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी यह दावा नहीं कर सकती है कि मृतक वाहन मालिक ने उदय पाल को चालक के रूप में नियुक्त करते समय उचित परिश्रम नहीं किया था, अब तक एक ऐसी शर्त पर जोर देते हुए जो न तो क़ानून में निर्धारित की गई थी और न ही बीमा पॉलिसी में। इसके अलावा, यह एक अवास्तविक शर्त है कि चालक को नियुक्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित आर. टी. ओ. द्वारा सत्यापित और स्वीकार किए गए ऐसे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा, चाहे ऐसा करने की वास्तविक आवश्यकता कुछ भी हो।

9. इस संबंध में स्कंदिया बीमा का उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है।

कं. लिमिटेड बनाम। कोकिलाबेन चंद्रावदन और अन्य 1, जिसमें इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में, जो 1988 के अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के समान है, निम्नलिखित रूप में देखा गया है:-

‘14. धारा 96 (2) (बी) (ii) बीमा कंपनी को प्रतिरक्षा प्रदान करती है यदि किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे अयोग्य घोषित किए जाने की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित किया गया है, ड्राइविंग को छोड़कर किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है। अभिव्यक्ति 'उल्लंघन' बहुत महत्वपूर्ण है।

1 (1987) 2 एस. सी. सी. 654

/

[2023] 14 एस सी आर।

'उल्लंघन' का शब्दकोश अर्थ 'किसी वादे या दायित्व का उल्लंघन या उल्लंघन' है (कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश देखें)। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि बीमाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि बीमित व्यक्ति इस वादे के उल्लंघन या उल्लंघन का दोषी है कि विधिवत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को वाहन का प्रभारी होना होगा। वचन के उल्लंघन या उल्लंघन की अवधारणा जो अभिव्यक्ति 'उल्लंघन' अपने आप में एक निष्कर्ष को प्रेरित करती है कि वचनदाता की ओर से उल्लंघन या उल्लंघन जानबूझकर उल्लंघन या उल्लंघन होना चाहिए। यदि बीमित व्यक्ति की कोई गलती नहीं है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था या किसी भी मामले में गलत नहीं है तो यह ईमानदारी से कैसे माना जा सकता है कि उसने उल्लंघन किया है? यह केवल तभी होता है जब बीमित व्यक्ति स्वयं वाहन को उस व्यक्ति के प्रभारी के रूप में रखता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो यह कहा जा

सकता है कि वह इस वादे के उल्लंघन का 'दोषी' है कि वाहन एक लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा चलाया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उल्लंघन बीमित व्यक्ति की ओर से किया गया था और यह बीमित व्यक्ति ही था जो वादे का उल्लंघन करने या अनुबंध के उल्लंघन का दोषी था। जब तक बीमित व्यक्ति की गलती नहीं है और वह उल्लंघन का दोषी नहीं है, तब तक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से बच नहीं सकता है और सफलतापूर्वक तर्क देता है कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोषमुक्त है कि वचनदाता (बीमित व्यक्ति) ने अपने वादे का उल्लंघन किया है। तब नहीं जब कोई दुर्घटना किसी गलती से होती है। जब बीमित व्यक्ति ने अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया है क्योंकि उसने एक लाइसेंस प्राप्त चालक को नियुक्त किया है और वाहन को एक लाइसेंस प्राप्त चालक के प्रभारी के रूप में रखा है, जिसमें खुद को चलाने के लिए स्पष्ट या निहित जनादेश है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बीमित व्यक्ति किसी भी उल्लंघन का दोषी है।'

10. उपरोक्त निर्णय की शुद्धता पर विचार किया गया था

3-सोहन लाल पासी बनाम पी. शेष रेड्डी मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ और अन्य 2 और इसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विधिवत अनुमोदित किया गया था:- 'दूसरे शब्दों में, एक बार जब धारा 96 की उप-धारा (2) (बी) (ii) में निर्धारित शर्त का उल्लंघन हो जाता है, तो बीमित व्यक्ति

2 (1996) 5 एससीसी 21 69

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी [संजय कुमार, जे.] 70

धारा 96 की उप-धारा (1) के लाभ का हकदार नहीं होगा। हमारे अनुसार, धारा 96 (2) (बी) (ii) की व्याख्या तकनीकी तरीके से नहीं की जानी चाहिए। धारा 96 की उप-धारा (2) केवल बीमा कंपनी को उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी आधार पर मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में अपना बचाव करने में सक्षम बनाती है, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे वाहन को छोड़कर शर्त का उल्लंघन किया गया है जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है। इसके चेहरे पर यह पट्टी बीमित व्यक्ति पर काम करती है। यदि वाहन का बीमा कराने वाले व्यक्ति ने वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने की अनुज्ञात है जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है, तो केवल वही खंड आकर्षित किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां बीमा कंपनी के साथ वाहन का बीमा कराने वाले व्यक्ति ने विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक नियुक्त किया है और यदि दुर्घटना तब होती है जब वाहन चलाने के लिए विधिवत अधिकृत चालक के अधिकार के आधार पर विधिवत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जा रहा है तो क्या उस स्थिति में बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा? धारा 96 (2) (बी) में होने वाली अभिव्यक्ति 'उल्लंघन' का अर्थ है किसी वादे या दायित्व का उल्लंघन या उल्लंघन। इस प्रकार बीमा कंपनी को यह स्थापित करना होगा कि

बीमित व्यक्ति किसी वादे के उल्लंघन या उल्लंघन का दोषी था। बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण या न्यायालय को यह भी संतुष्ट करना होगा कि बीमित व्यक्ति की ओर से ऐसा उल्लंघन या उल्लंघन जानबूझकर किया गया था। यदि बीमित व्यक्ति ने वाहन चलाने के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक नियुक्त प्रश्न के सभी सावधानियां बरती हैं और यह स्थापित नहीं किया गया है कि यह बीमित व्यक्ति था जिसने वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने की अनुमति दी थी जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं था, तो बीमा कंपनी धारा 96 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपने वैधानिक दायित्व को अअनुज्ञात नहीं प्रश्न सकती है।'

11. इसके बाद, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और

अन्य 3, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने 1988 के अधिनियम की धारा 149 की व्याख्या पर विचार किया। पीठ के समक्ष अन्य मामलों के अलावा ऐसे मामले भी शामिल थे जिनमें वाहन चालक या मालिक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस नकली था। पीठ ने कहा कि धारा 149 (2) (ए) इन शब्दों के साथ शुरू होती है: 'कि पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जिसका अर्थ यह होगा कि बीमाकर्ता कार्रवाई का बचाव करेगा

3 (2004) 3 एससीसी 297

/

[2023] 14 एस सी आर।

यह पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि एक बीमा कंपनी जो अपने दायित्व से बचना चाहती है, उसे न केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि धारा 149 (2) (ए) या (बी) में निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं, बल्कि यह स्थापित करने की भी आवश्यकता है कि बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन किया गया है। बीमित व्यक्ति की ओर से इस तरह के उल्लंघन को बीमाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए कि बीमित व्यक्ति ने प्रावधानों के उल्लंघन में बीमित वाहन का उपयोग किया या किया या उपयोग करने की अनुमति दी। पीठ ने आगे कहा कि जहां बीमाकर्ता, बीमाकृत द्वारा विधि के उल्लंघन पर भरोसा करता है, बीमाकृत या किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए अपवाद लेता है, तो उसे बीमाकृत द्वारा जानबूझकर विधि का उल्लंघन साबित करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि विधि का प्रस्ताव अब एकीकृत नहीं है कि उल्लंघन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को इसे साबित करना होगा, पीठ ने कहा कि एक बीमा कंपनी को ठोस साक्ष्य द्वारा उक्त उल्लंघन को स्थापित करने की आवश्यकता होगी और यदि कोई बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रहती है कि बीमित व्यक्ति की ओर से पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसी बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। 12. इसके अलावा, उन मामलों के संदर्भ में जहां ड्राइविंग लाइसेंस नकली पाया गया था, पीठ ने कहा कि प्रश्न यह होगा कि क्या बीमाकर्ता यह साबित कर सकता है कि मालिक बीमा पॉलिसी की शर्तों के जानबूझकर उल्लंघन का दोषी था। यह इंगित किया

गया था कि इस अधिनियम का बचाव कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति द्वारा धारण किया गया लाइसेंस नकली था, बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इसके बावजूद, क्या मालिक की ओर से चूक की याचिका स्थापित की गई है या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न होगा जिसे प्रत्येक मामले में निर्धारित करना होगा।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पहले का निर्णय। लेहरू और

अन्य 4 पर विचार किया गया और पीठ ने कहा कि उस अंतर्गत अनुपात को इस अर्थ अंतर्गत नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि किसी वाहन के मालिक का किसी भी परिस्थिति अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता के संबंध अंतर्गत जांच करने का कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है और यह फिर से एक ऐसा प्रश्न होगा जो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले अंतर्गत विचार के लिए उत्पन्न होगा। यह तर्क कि लेहरू (उपरोक्त) में निर्णय का अर्थ यह था कि, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, बीमाकर्ता का यह बचाव करने का अधिकार कि लाइसेंस नकली था, को हटा लिया गया था, हालांकि, सही नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि इस तरह का बचाव निश्चित रूप से उठाया जा सकता है, लेकिन यह बीमाकर्ता को साबित करना होगा कि बीमाकृत ने नहीं लिया था।

4 (2003) 3 एससीसी 338 71

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी [संजय कुमार, जे.] 72

चालक द्वारा रखे गए लाइसेंस की वास्तविकता या अन्यथा को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सावधानी और सावधानी बरतें। पीठ द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्णय, वर्तमान में प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार हैं:

‘(iii) पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन जैसे कि धारा 149 की उप-धारा (2) (ए) (ii) में निहित चालक का अयोग्य ठहराना या चालक का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए किया गया है। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित समय पर गाड़ी चलाने के लिए चालक को अयोग्य ठहराना, बीमाकृत या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक या संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा।

(iv) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव (ओं) को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से "उल्लंघन" भी स्थापित करना चाहिए; सबूत का बोझ उनके ऊपर होगा। (v) न्यायालय

इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है कि उक्त बोझ का निर्वहन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता संबंधित अवधि के दौरान चालक द्वारा वैध लाइसेंस रखने या गाड़ी चलाने के लिए अपनी योग्यता के संबंध में पॉलिसी की शर्त के संबंध में बीमाकृत की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम है, बीमाकर्ता को बीमाकृत के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुज्ञात नहीं दी जाएगी जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त पर उक्त उल्लंघन या उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया हो। नीति की शर्तों की व्याख्या करने में न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 149 (2) के अंतर्गत बीमाकर्ता को उपलब्ध बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य का नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

(vii) प्रश्न यह है कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (ए

/

[2023] 14 एस सी आर।

नकली या अन्यथा), विधि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या प्रत्येक मामले में निर्धारित नहीं किया जाएगा।'

13. हाल ही में, राम चंद्र सिंह बनाम राजाराम और अन्य **5** में,

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या किसी बीमा कंपनी को इस आधार पर दायित्व से मुक्त किया जा सकता है कि बीमित वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस न्यायालय ने पाया कि यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि क्या मालिक को चालक के पास मौजूद नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पता था और कहा कि यह केवल तभी होगा जब मालिक को इस तथ्य के बारे में पता हो कि लाइसेंस नकली था, लेकिन फिर भी ऐसे चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी जाए कि बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करेगा।

14. यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी ने यह याचिका भी नहीं उठाई कि वाहन के मालिक ने उदय पाल को यह जानते हुए वाहन चलाने की अनुज्ञात कि उनका लाइसेंस नकली था। इसका रुख यह था कि दुर्घटना स्वयं पीड़ित की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके अलावा, बीमा पॉलिसी में वाहन के मालिक को आरटीओ के साथ वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी का दावा है कि उसे बीमा पॉलिसी की शर्त के जानबूझकर

उल्लंघन के कारण वाहन के मालिकों से मुआवजे की वसूली करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन एक लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा चलाया गया था, बिना किसी दलील और सबूत के है।¹⁵ जैसा कि पहले ही बताया गया है, एक बार जब वाहन चलाने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा एक वैध प्रतीत होने वाला ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि ऐसा लाइसेंस स्पष्ट रूप से नकली न हो, किसी भी समझदार नियोक्ता को इसकी वास्तविकता के बारे में पूछताछ करने के लिए वारंट नहीं करता है, या जब लाइसेंस की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, या इसकी वैधता के बारे में वास्तविक संदेह रखने के लिए कोई अन्य कारण है, तो बीमा कंपनी पर यह साबित करने का बोझ है कि वाहन चलाने के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले वाहन मालिक की ओर से इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को उचित परिश्रम करने में विफलता थी। वर्तमान में, कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जिसके द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृत वाहन के मालिक को

5 (2018) 8 एससीसी 799 73

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी [संजय कुमार, जे.]

उज्जय पाल के ड्राइविंग लाइसेंस की पुष्टि की गई है। इसलिए, यह याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी पर था कि वह उक्त वाहन के मालिक की ओर से जानबूझकर उल्लंघन साबित करे। चूंकि ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को वाहन के वर्तमान मालिकों से मुआवजे की राशि की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि यह अधिनियम तथ्यों या विधि में हस्तक्षेप नहीं करता है।

16. इन कानूनी प्रस्तावों का इतनी अच्छी तरह से निपटारा होने के कारण, यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि बीमा कंपनियां दिए गए मामले के तथ्यों और/या उसमें उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ के बिना, निश्चित रूप से इस तरह की याचिकाओं को उठाना उचित समझती हैं, और इस तरह के मामलों को अंतिम मंच तक अपील में ले जाना भी आवश्यक समझती हैं।

विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

एसएलपी खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान